




फर्द अहकाम

बाबुलाल

बनाम

रवि सक्सेना

31/12/23

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/2/23	<p>दावा वकील वादी ने पेश किया। रिपोर्ट भरिलता लेकर पेश हुई। प्रकरण दर्ज शजिस्टर किया जावे। वकील वादी उप. है। प्रतिवादीगण की तत्पवी जय R थु. AD से जारी होकर पत्रावली दिनांक 14/2/23 को पेश दी।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	<p></p>
9/2/23	<p>पत्रावली आज दावे की पत्रावली के साथ पेश हुई। दावा वादी जिज्ञे हो जाने के कारण वकील वादी से कहें जाने पर प्रा. पत्र भी जिज्ञे करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रा. पत्र अत्याई निषेधाज्ञा का जिज्ञे (खारिज) किया जाता है। पत्रावली वाद तदुमील दामिल पत्र दी।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	